

उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस)अनुभाग-9
संख्या-2675(ii)/छ:-पु0-9-18-31(120)/17
लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत श्री अशोक कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी, सीतापुर को नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-516/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0 दिनांक 09.08.2019 के क्रम में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभियोजन अधिकारी के पद पर धारणाधिकार बनाये रखते हुए कार्यमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कार्यमुक्त करने विषयक अनुमति महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उनके पत्रांक-एक-दो-136-99(143)(372)/4431/2019 दिनांक 22.08.2019 के क्रम में इस शर्त के अधीन है कि कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित अपर निदेशक अभियोजन/संयुक्त निदेशक अभियोजन पुनः यह सुनिश्चित कर लेंगे कि श्री अशोक कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी, सीतापुर से कोई विभागीय देयक अवशेष नहीं है।

राज्यपाल महोदय की ओर से,

अटल कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या: एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महानिदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) अपर निदेशक अभियोजन, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ (द्वारा महानिदेशक अभियोजन)।
- (4) संयुक्त निदेशक अभियोजन, सीतापुर (द्वारा महानिदेशक अभियोजन)।
- (5) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सीतापुर (द्वारा महानिदेशक अभियोजन)।
- (6) संबंधित अधिकारी (द्वारा महानिदेशक अभियोजन)।
- (7) गार्ड फाइल।

Self attested
(ASHOK KUMAR YADAV-IV)

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह
अनु सचिव।